(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : निगरानी-सिवनी/भू०रा०/2018/5425 - विरूद्ध - आदेश दिनांक 5–7–18 - पारित - व्दारा कलेक्टर, जिला सिवनी - प्रकरण क्रमांक 123/बी–121/2017–18

राजीव शिवहरे पुत्र राजकुमार शिवहरे
निवासी घूमा तहसील लखनादौन
जिला सिवनी, मध्य प्रदेश
---आवेदक

विरूद्ध

१- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर सिवनी
२- प्रसन्न शिवहरे पुत्र जगदीश शिवहरे
निवासी घूमा तहसील लखनादौन
जिला सिवनी मध्य प्रदेश
---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अभिषेक जैन)
(आवेदक-२ के अभिभाषक श्री अभिताभ भारतीय जैन)

आ दे श

(आज दिनांक 3 - 4 -2019 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 123/बी–121/2017–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5-7-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–2 ने कलेक्टर सिवनी को इस आशय का सूचना आवेदन दिया कि आवेदक ने ग्राम बरबटी स्थित भूमि सर्वे नंबर 179 रकबा 0–510 हैक्टर पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28–4–11 से क्रय किया है । ग्राम बरबटी तहसील लखनादौन अधिसूचित क्षेत्र है जिसके कारण भूमि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में है परन्तु केता आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन से प्र0क0 141 अ–2/12–13 में पारित आदेश दिनांक 25–9–13 से डायवर्सन करा लिया है जबकि धारा 165 के अंतर्गत

प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि विक्रय से 10 वर्ष की अवधि में डायवर्सन नहीं किया जा सकता। भूमि के डायवर्सन उपरांत प्रकरण क्रमांक 40 बी 121/13-14 में पारित आदेश दिनांक 4-3-14 से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले लिया है, कार्यवाही की जावे।

उक्त पर कलेक्टर जिला सिवनी ने प्रकरण क्रमांक 123/बी-121/2017-18 पॅजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 5-2-18 जारी किया। कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते हुये आवेदक ने प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला सिवनी ने आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 5-7-18 पारित किया तथा दो वर्ष के अंतराल में पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग न करने वावत् प्रस्तुत आपत्ति आवेदन अमान्य करते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर, अनावेदक क्रमांक-2 व्दारा प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पर एंव शिकायत वापिस लिये जाने वावत् प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27-2-19 पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में अनावेदक क्रमांक-2 व्दारा प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पर विचार किया गया। यह सही है कि कलेक्टर जिला सिवनी व्दारा प्रकरण क्रमांक 123/बी-121/2017-18 अनावेदक क्रमांक-2 के आवेदन पर पॅजीबद्ध करके सुनवाई प्रारंभ की है जिसके कारण प्रकरण में अनावेदक क्रमांक-2 हितबद्ध होना प्रतीत होने से पक्षकार है।

5/ शिकायत वापिस लिये जाने वावत् प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27-2-19 के क्रम में दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 123/बी-121/2017-18 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि अनावेदक क्रमांक-2 के शिकायती आवेदन पर कलेक्टर सिवनी ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 123/बी-121/2017-18 पॅजीबद्ध किया है इस प्रकरण में आवेदक ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि दो वर्ष वाद स्वमेव निगरानी प्रकरण पॅजीबद्ध नहीं किया जा सकता, जिस पर कलेक्टर जिला ने अंतरिम आदेश दिनांक 5-7-2018 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

> म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 – पुनरीक्षण प्राधिकारी की स्वप्रेरित शक्तियॉ – प्रयोग में लाना – पुनरीक्षण प्राधिकारी व्दारा स्वप्रेरित शक्तियों को प्रयोग में लाये जाने के लिये कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं किये जाने के फलस्वरूप आपत्ति में उठाये गये दो वर्ष पश्चात् पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता का तथ्य भी सारहीन पाया जाता है।

कलेक्टर जिला सिवनी के उक्तानुसार लिये गये निर्णय का परिशीलन करने पर स्थिति यह है कि –

1. भेरूलाल विरूद्व किशनलाल 1990 रा0नि0 30 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने में परिसीमा का बर्जन नहीं है।
2. श्रीमती छोटीवाई विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 2009 रा0नि0 357 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरन्त वाद पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया गया, इसे विलम्बित नहीं कहा जा सकता।
3. श्रीमती रामरती विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 2013 रा.नि. 390 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि समस्त मानकों से वाहर पारित आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण शक्तियों का **प्रयोग करने में परिसीमा का प्रश्न नहीं है।**

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के मान से कलेक्टर सिवनी व्दारा की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही में दोष नहीं है।

6/ सहमति अनुसार प्रस्तुत राजीनामा आवेदन में कलेक्टर के समक्ष अनावेदक कमांक–2 व्दारा की गई शिकायत वापिस लिये जाने के आधार पर उभय पक्ष ने कलेक्टर सिवनी के प्र0क्र0 123/बी–121/2017–18 में की जा रही कार्यवाही एंव पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–7–2018 को निरस्त करने की मांग की है । उभय पक्ष यह मांग कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान कर सकते हैं क्योंकि स्वमेव निगरानी प्रकरण कलेक्टर ने सूचना दाता की सूचना पर स्वयं् पॅजीबद्व किया है जिसके कारण उभय पक्ष की इस मांग को निगरानी न्यायालय में नहीं माना जा सकता।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला सिवनी व्दारा प्रकरण कमांक 123/बी–121/ 2017–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–7–2018 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर